न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 06 / 2023

अपीलांट–
पपू देवी पुत्री स्व. मदाराम पत्नी गंगाराम जाति जाट निवासी लालो की बेरी, बाण्ड तहसील गुडामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. तहसीलदार रामसर
2. रूगाराम पुत्र स्व. मदाराम
3. धोला उर्फ आईदानराम पुत्र स्व. बाबूलाल

जाति जाट निवासी अर्जुन केशरानी, गंगाला तहसील रामसर जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उतरदाता संख्या 01 दिनांक 31.01.2008 ग्राम निहालाणियों का टोभा, गंगाला के विरासत नामान्तरकरण सं. 142 स्वीकृति जो तहसीलदार रामसर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री अर्जुनराम बोसिया, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स 2 से 3 की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 03.06.2025

1. अपीलांट्स की ओर से यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत मौजा मूल गांव गंगाला नवसृजित ग्राम निहालाणियों का टोभा वर्तमा में अर्जुन केशरानी तहसील रामसर के नामान्तरकरण सं. 142 पर तहसीलदार रामसर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.01.2008 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा गंगाला तहसील रामसर के खसरा नम्बर 379 रकबा 759.10 बीघा भूमि अवस्थित है, जिसका तदनुसार सह–खातेदारों ने आपसी सहमति से विभाजन करवाया। अपीलांट हके पिता स्व. मदाराम के हिस्से में क्रमशः खसरा नंबर 395 / 379 रकबा 51.07 बीघा, खसरा नबंर 396 / 379 रकबा 22.09 बीघा व खसरा नंबर 398 / 379 रकबा 64.09 बीघा कुल रकबा 137.18 बीघा किस्म बारानी सोयम मौज निहालाणियों का टोभा पटवार मण्डल गंगाला भू.अ.निरीक्षक खड़ीन तहसील रामसर का राजस्व अभिलेख हुआ है। अपीलांट के पिता का

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

स्वर्गवास दिनांक 14.01.2008 को हो गया। स्व. मदाराम के निधन पर विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 31.01.2008 को रूगाराम, हथु देवी व धोला उफ्र आईदानराम पुत्र बाबूराम के पक्ष में पारित किया गया, जो बाद जांच निरीक्षण आदेश हेतु तहसीलदार रामसर में पेश हुआ, जिसे उक्त नामान्तरकरण तहसील के तहसीलदार ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2008 से स्वीकार किया। स्व. मदाराम के देहान्त के पश्चात उतरदाता संख्या 02 ने राजस्व कार्मिकों से सांठ–गाठ कर अनुचित प्रलोभन देकर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करवा दिया, जिसमें वैद्य उतराधिकारियों की बिना जांच/सम्यक नोटिस जारी नही कर उक्त आदेश पारित करवा दिया। अपीलांट विवाहित है तथा ससुराल बांड मे निवास करती है। उक्त विवादित आराजीयान पर खरीफ फसल स्वयं काश्त करती थी एवं समयानुसार कृषि श्रमिकों से काश्त करवा कर कृषि जिंसों का उपयोग अभभोग करती हैं तथा अपीलांट का उक्त आराजीयात पर जन्म से लगातार कब्जा–काश्त है। अर्सा 10–15 दिन पूर्व अपीलांट अपने पीहर विवादित आराजीयात पर खरीफ फसल की तैयारी बाबत् निराई करने गई, तो उतरदाता संख्या 02 ने उक्त विवादित आराजीयात का 1/3 हिस्स, जो उनके नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है, में से आंशिक रकबे का बेचान किसी अजनबी क्रेताओं को विक्रय करने को कहा, तो अपीलांट ने अपने भाई, मां व भतीज को को उक्त भूमि के विक्रय करने का कारण पुछते हुए बेचान का विरोध किया, जिस पर उतरदाता संख्या 01 ने कहा कि पिता की फौतगी पर जो विरासत का नामान्तरकरण पारित किया गया जिसमें विधिक वारिसान के रूप में अपीलांट के नाम का अंकन नहीं किया है। उक्त आराजीयान में अपीलांट का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस उपरांत अपीलांट द्वारा कानूनन राय पर उक्त विरासत क नामान्तरकरण संख्या 142 मौजा निहालाणियों का टोभा की नकल दिनांक 12.06.2023 को प्राप्त हुई, जिसमें अपीलांट जो कि वैद्य पुत्री एवं प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी है, को उक्त विरासत के नामान्तरकरण में शामिल नहीं करते हुए उतरदाता संख्या 01 ने उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। अपीलांट द्वारा उक्त विरासत नामान्तरकरण आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.06.2023 को प्रस्तुत की गई हैं तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

न्यायालय अपर कलेक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

3. अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील में मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन तलब किया गया।

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्षकारान के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा गंगाला तहसील रामसर के खसरा नम्बर 379 रकबा 759.10 बीघा भूमि अवस्थित है, जिसका तदनुसार सह–खातेदारों ने आपसी सहमति से विभाजन करवाया। अपीलांट हके पिता स्व. मदाराम के हिस्से में क्रमशः खसरा नंबर 395/379 रकबा 51.07 बीघा, खसरा नबंर 396/379 रकबा 22.09 बीघा व खसरा नंबर 398/379 रकबा 64.09 बीघा कुल रकबा 137.18 बीघा किस्म बारानी सोयम मौज निहालाणियों का टोभा पटवार मण्डल गंगाला भू.अ.निरीक्षक खड़ीन तहसील रामसर का राजस्व अभिलेख हुआ है। अपीलांट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 14.01.2008 को हो गया। स्व. मदाराम के निधन पर विरासत का अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 142 दिनांक 31.01.2008 को रूगाराम, हथु देवी व धोला उफ़ आईदानराम पुत्र बाबूराम के पक्ष में पारित किया गया, जो बाद जांच निरीक्षण आदेश हेतु तहसीलदार रामसर में पेश हुआ, जिसे उक्त नामान्तरकरण तहसील के तहसीलदार ने अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2008 से स्वीकार किया। स्व. मदाराम के देहान्त के पश्चात उतरदाता संख्या 02 ने राजस्व कार्मिकों से सांठ–गाठ कर अनुचित प्रलोभन देकर अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करवा दिया, जिसमें वैद्य उतराधिकारियों की बिना जांच/सम्यक नोटिस जारी नही कर उक्त आदेश पारित करवा दिया। अपीलांट विवाहित है तथा ससुराल बांड मे निवास करती है। उक्त विवादित आराजीयान पर खरीफ फसल स्वयं काश्त करती थी एवं समयानुसार कृषि श्रमिकों से काश्त करवा कर कृषि जिंसों का उपयोग अभभोग करती हैं तथा अपीलांट का उक्त आराजीयात पर जन्म से लगातार कब्जा–काश्त है। अर्सा 10'15 दिन पूर्व अपीलांट अपने पीहर विवादित आराजीयात पर खरीफ फसल की तैयारी बाबत् निराई करने गई, तो उतरदाता संख्या 02 ने उक्त विवादित आराजीयात का 1/3 हिस्स, जो उनके नाम से राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है, में से आंशिक रकबे का बेचान किसी अजनबी क्रेताओं को विक्रय करने को कहा, तो अपीलांट ने अपने भाई, मां व भतीज को को उक्त भूमि के विक्रय करने का कारण पुछते हुए बेचान का विरोध किया, जिस पर उतरदाता संख्या 01 ने कहा कि पिता की फौतगी पर जो विरासत का नामान्तरकरण पारित किया गया जिसमें विधिक वारिसान के रूप में अपीलांट के नाम का अंकन नहीं किया है। उक्त आराजीयान में अपीलांट का हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। इस उपरांत अपीलांट द्वारा कानूनन राय पर उक्त विरासत क नामान्तरकरण संख्या 142 मौजा निहालाणियों का टोभा की नकल दिनांक 12.06.2023 को प्राप्त हुई, जिसमें अपीलांट जो कि वैद्य पुत्री एवं प्रथम वर्ग की उत्तराधिकारी है, को उक्त विरासत के नामान्तरकरण में

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

शामिल नहीं करते हुए उतरदाता संख्या 01 ने उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया। अतः अपीलांट की यह अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन विरासत नामान्तरकरण सं. 142 दिनांक 31.01.2008 निरस्त फरमाया जावें तथा वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट के कब्जे–काश्त अनुसार विभाजन किया जाकर राजस्व अभिलेखों मे आवश्यक इन्द्राज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावें।

5. रेस्पोडेंट सं. 2 से 3 के अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत हस्तगत अपील स्पष्टयता मयाद बाहर होने से चलने योग्य नहीं है। नामान्तरकरण अपील, नामान्तरकरण आदेश पारित होने के 30 दिन भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है, जबकि हस्तगत अपील लगभग 15 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई, जो मयाद बाहर होने से काबिले निरस्त है। अधिवक्ता रेस्पों संख्या 02 से 03 द्वारा इस संबंध में राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर द्वारा विभिन्न न्यायिक निर्णयों आरआरटी 2008(2) आरआरटी 2013(1) 61 एवं आरआरटी 2010(2) 1322 की नजीरें पेश की, जिसमें लिमिटेशन मात्र तीस दिन है, लेकिन अपीलांट ने अपील 15 वर्ष बाद पेश की है जो चलने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में विलंब एवं अपीलाधीन आदेश के जानकारी होने के तथ्य मनगढत प्रकट किए हैं, जो मानने योग्य नहीं होने अपील खारिज की जाने का निवेदन किया है।

6. हमने अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 31.01.2008 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.06.2023 को प्रस्तुत की गई है, तथा अपील देरी से प्रस्तुत करने का कारण अपीलांट अनपढ ग्रामीण होने से वास्तविक स्थिति की जानकारी नहीं होना प्रकट किया है, साथ ही निवेदन किया है कि रेस्पो. द्वारा अपीलांट के हिस्से का विरासत नामान्तरकरण पिता के देहांत पश्चात नहीं भरवाया गया, जिसकी जानकारी अपीलांट को रेस्पो. संख्या 02 द्वारा अपने हिस्से 1/3 भाग के आंशिक भाग को किसी अन्य व्यक्ति को बेचान करने की बात के दिनांक 12.06.2023 से पता चलने पर अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुई, इसके विरोध में रेस्पो. संख्या 02 से 03 के अधिवक्ता का कथन है कि नामान्तरकरण अपील, नामान्तरकरण आदेश पारित होने के 30 दिन भीतर प्रस्तुत करना आवश्यक है, जबकि हस्तगत अपील 15 वर्ष पश्चात प्रस्तुत की गई, जो मयाद बाहर होने से काबिले निरस्त है। इस संबंध में अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि अपीलांट के पिता के देहांत पश्चात विरासत

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

नामान्तरकरण में अपीलांट के हिस्से दर्ज नहीं किया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य है।

अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार रामसर द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश क्रमांक 142 दिनांक 31.01.2008 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार रामसर को इस आधार पर निर्देशित किया जाता है कि मृतक के समस्त विधिक वारिसान को नोटिस एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए नए सिरे से मृतक की स्वीय विधि के अनुसरण में उतराधिकार का नामान्तरकरण की कार्यवाही करें।

8. निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)